न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–05 / 2025

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
कुंभाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी		1. अचलाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–24.02.2026

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– एड अमरसिंह पटवार हल्का एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 198 / 195 रकबा 8.7372 हेक्टेयर किस्म, खसरा नम्बर 214 / 195 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 03.09.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी वकील की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजाएड अमरसिंह पटवार हल्का एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 198 / 195 रकबा 8.7372 हेक्टेयर किस्म, खसरा नम्बर 214 / 195 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा नं.	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान (रू0)	बरंग
1.	कुंभाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट सा. सिणधरी खातेदार	एड अमरसिंह	198 / 195 214 / 195	4.2310 0.2023	बा.सो. बा.सो.	0.21 0.01	हरा
			योग	**4.4333**			
2	अचलाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट सा. सिणधरी खातेदार	एड अमरसिंह	198 / 195	4.4334	बा.सो.	0.21	गुलाबी
3	कुंभाराम पुत्र रूगाराम अचलाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट सा. सिणधरी खातेदार	एड अमरसिंह	198 / 195	**0.0728**	गे.मु. रास्ता		लाल

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि अप्रार्थी विशनाराम पुत्र रूगाराम द्वारा यदि मूल खेत खसरा संख्या 195 से विभक्त होकर कायम नवीन खसरान् की भूमि के संबंध में कोई वाद दायर किया जाता हो, तो उसके निर्णयाधीन रखते हुए उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)सिणधरी